

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
अधिघोषणा

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-महराजगंज, थाना नं०-84 चादर नं०-2 परगना- भागलपुर, जिला- बाँका में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् देवघर से सुल्तानगंज (खण्ड बाँका से सुल्तानगंज) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए रेलवे विभाग, भारत सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 15.134 एकड़ होता है जिसका खेसरा सं० निम्नांकित हैं।

अर्जनाधीन खेसरा सं०- अंश 506, 922, 923, 925, पूर्ण 926, अंश 927, 929, पूर्ण 930, अंश 931, 933, पूर्ण 934, 935, 936, 937अंश, 938, 943, 944, 1074, 1095, 1097, 1098, 1111, 1127, 1108

चौहद्दी निम्नप्रकार है:-

उत्तर :- मि०चा०नं०-1, 506, मि०चा०नं०-1, 922, 925, 925, 926, 929, 929, 934, 931, 931, 931, 931, 933, 933, 933, 1111, 1111, 1195, 1095, 1072, 923, 1111

पुरब:- 922, 923, 923अंश, 923, 925, 926, 930, 1127, 1127, 935, 935, 936, 937, 1127, 937, 938, 933, 1074अंश, 1095अंश, 1097अंश, 1098अंश, 1111अंश, 1127अंश, 1108अंश

दक्षिण :- 922, 925, 929, 929, 929, 929, 931, 931, 937, 938, 933, 938, 937, 1049, 938अंश, 943अंश, 938, 1111, 1097, 1095, 1095, 1095, 1127, अंश 1111

पश्चिम:- 506अंश, 922अंश, 925, 925अंश, 927, 927अंश, 929अंश, 929, 931अंश, 933अंश, 933, 934, 935, 938, 938अंश, 938, 944अंश, 1074अंश, 1095अंश, 1097अंश, 1095, 1111अंश, 931, 1111

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, सिलेट या अन्य खनिजों एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित कि जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना, या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो लिए जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम XVIII, 1885 की धारा 3 खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका के कार्यालय, में देखा जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ए०-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
बाँका

अपर समाहर्ता,  
बाँका

समाहर्ता,  
बाँका

सरकार के उपसचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार,  
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक - ०२ / रा० दिनांक - ०१.०१-१३

- प्रतिलिपि :- 1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिघोषणा की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
2. प्रभारी उपसमाहर्ता, जिला गजट बाँका को बाँका जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
3. समाहर्ता, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।  
4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।  
5. अंचल अधिकारी, अमरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।  
6. उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उपसचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार,  
विभाग, बिहार, पटना।